आत्मनिर्भर भारत

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो रहे

फुटपाथी दुकानदार

दूसरे टर्म का लोन लेकर कर रहे अपने कारोबार का विस्तार

फुटपाथी दुकानदारों के लिए वरदान साबित हो रही पीएम स्वनिधि योजना

वरीय संवाददाता ▶ जमशेदपुर

शहरी क्षेत्र के फुटपाथ विक्रेताओं के रोजगार में पूंजीगत सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है. मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 8 के रहने वाले शेख नसीम के कंधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी. वे न्यू पुरुलिया रोड, मानगो में फुटपाथ पर बर्तन की दुकान चलाते थे. कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगने से उनकी जमा पूंजी समाप्त हो गयी. लॉकडाउन खुलने पर शेख नसीम ने मानगो नगर निगम कार्यालय से संपर्क कर पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये का लोन लेकर फिर से अपना कामकाज शुरू किया. एक साल के भीतर उन्होंने लोन की राशि चुका दी.

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है. उनके क्रेडिट को देखते हुए बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें पुनः 20 हजार का लोन दिया. जिससे वह अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं. शेख नसीम ने कहा कि योजना का लाभ पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लेना चाहिये. सरकार की योजना से उन्हें लाभ मिला.

444 फुटपाथी विक्रेताओं को दूसरी बार मिला पीएम स्वनिधी योजना का लाभ

मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि 444 पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना के तहत दूसरी बार लाभ दिया गया है. दूसरी किस्त की भी राशि जमा करने पर लाभुकों को तीसरे साल 50 हजार रुपये का लोन मिलता है. अब तक 1100 से ज्यादा पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपये का लोन प्राप्त हो चुका है.

फुटपाथी विक्रेताओं को दूसरी बार में मिल रहा 20 हजार लोन

जमशेदपुर | **वरीय संवाददाता**

मानगो नगर निगम क्षेत्र में 12 फुटपाथी विक्रेता अपने रोजगार को रफ्तार देने के लिए बैंक से दो बार लोन ले चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत पहली बार में 10 हजार रुपये लोन लेकर एक साल में लोन का किश्त भुगतान करने के बाद दूसरी बार में 20 हजार लोन लेकर अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं।

मानगो जवाहरनगर रोड निवासी शेख नसीम शेख नसीम ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार का लोन के लिए आवेदन फॉर्म जमा किया। इसके तहत प्रक्रिया पूरी कर बैंक ऑफ इंडिया भेजा गया, जहां इन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार का लाभ प्राप्त हुआ। एक साल के भीतर लोन बैंक को वापस किया गया।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : @JharkhandDMA